राजस्थान आवासन मण्डल

आवश्यक सूचना

गुलाबी नगर जयपुर की प्रतिष्ठित कॉलोनी प्रताप नगर, सांगानेर में वाणिज्यिक भूखण्डों एवं पेट्रोल पम्प की दिनांक 21.02.2018 को प्रस्तावित भव्य खुली नीलामी विज्ञप्ति दिनांक 14.01.2018 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी। उक्त विज्ञप्ति में क्रम संख्या–6 पर व्यावसायिक भूखण्ड संख्या–9, सैक्टर–18, प्रताप नगर की नीलामी को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है। शेष भूखण्ड एवं शर्तें यथावत रहेगी।

उप आवासन आयुक्त
वृत्त–प्रथम, जयपुर

राज.संवाद/सी/17/7278

दैनिक भास्कर 03.02.18
पृष्ठ 12

राजस्थान आवासन मण्डल

भविष्य के बाजार में बनें, आप भी भागीदार

गुलाबी नगर जयपुर की प्रतिष्ठित कॉलोनी प्रताप नगर, सांगानेर में वाणिज्यिक भूखण्डों एवं पेट्रोल पम्प की

नीलामी स्थल
आवासन मण्डल मुख्यालय जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर

भव्य खुली नीलामी

खुली नीलामी दिनांक 21.02.18 समय प्रातः 11.00 बजे

क्र. सं.	खण्ड	सैक्टर	भूखण्ड संख्या	व्यावसायिक भूखण्ड का क्षेत्रफल	भूमि की आरक्षित दर (प्रति व.मी.)	अमानत राशि (रूपये में)	न्यूनतम बोली मूल्य (प्रति व.मी.)
1	Div.III	Sector-17	175/S-7 (Corner)	105.00 व0मी0	59,575.00	3,91,125.00	74,500.00
2	Div.III	Sector-17	175/S-14 (Corner)	105.00 व0मी0	59,575.00	3,91,125.00	74,500.00
3	Div.IV	Sector-05	02 (Corner)	453.60 व0मी0	59,575.00	16,10,280.00	71,000.00
4	Div.IV	Sector-05	06 (Corner)	740.00 व0मी0	59,575.00	25,90,000.00	70,000.00
5	Div.IV	Sector-18	08 (Corner)	521.43 व0मी0	59,575.00	18,77,148.00	72,000.00
7	Div.IV	Sector-10	100/SP-5 (Ordinary)	162.00 व0मी0	59,575.00	7,29,000.00	90,000.00
8	Div.IV	Sector-10	100/SP-6 (Ordinary)	162.00 व0मी0	59,575.00	7,29,000.00	90,000.00
9	Div.IV	Sector-10	100/SP-7 (Ordinary)	162.00 व0मी0	59,575.00	7,29,000.00	90,000.00
10	Div.IV	Sector-10	100/SP-8 (Corner)	162.00 व0मी0	59,575.00	7,85,700.00	97,000.00
11	Div.IV	Sector-10	100/SP-69 (Corner)	112.50 व0मी0	59,575.00	5,90,625.00	10,5000.00
12	Div.V	Sector-08	80/A (Corner)	4860.00 व0मी0	59,575.00	50,00,000.00	74,980.00
13	Div.XII	Sector-23	232/C/F-1 (Corner)	4712.92 व0मी0	59,575.00	50,00,000.00	74,000.00
14	Div.XII	Sector-23	232/C/F-2 (Corner)	4712.92 व0मी0	59,575.00	50,00,000.00	74,000.00
15	Div.XII	Sector-25	(Ordinary)	2258.37 व0मी0 (पेट्रोल पम्प हेतु)	59,575.00	50,00,000.00	75,000.00

नोटः 1. क्रम संख्या एक से पन्द्रह पर अंकित भूखण्डों पर अधिकतम भूमि का आच्छादित क्षेत्रफल, ऊचाई, एफ.ए.आर., पार्किंग, सेटबैक इत्यादि वर्तमान में प्रचलित जे.डी.ए. विनियम के अनुसार देय होगी ऊचांई एयरपोर्ट ऑथोरिटी की अनुमति अनुसार व जे. डी.ए. विनियम के अनुसार जो भी कम हो मान्य होगी।

मुख्य विशेषताएंः– योजना में उपलब्ध भूखण्ड गुलाबी नगर जयपुर की प्रतिष्ठित कॉलोनी प्रताप नगर के मेन टोंक रोड़, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12, द्रव्यवती नदी के सौन्दर्यकरण के नजदीक, महल रोड़ पर स्थित है। प्रताप नगर आवासीय योजना हवाई अड्डे से मात्र 3.00 किलोमीटर की दूरी पर तथा जयपुर शहर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर स्थित है।

नियम व शर्तेः 1. प्रत्येक नीलामी में भाग लेने के लिये बोलीदाता को ''राशि रूपये 10 करोड़ से कम मूल्य की सम्पति हेतु न्यूनतम बोली मूल्य का 05 प्रतिशत अथवा 30.00 लाख जो भी कम हो, अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी। राशि रूपये 10 करोड़ एवं अधिक मूल्य की सम्पति हेतु न्यूनतम बोली मूल्य का 05 प्रतिशत अथवा 50.00 लाख जो भी कम हो, अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी'' 2. उच्चतम बोलीदाता को विक्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा कराई गई राशि को समायोजित करते हुये 72 घन्टे में सम्बन्धित आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर के कार्यालय में जमा करानी होगी। सभी राशियाँ बैंकर्स चैक/डी.डी. के द्वारा जो राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर के नाम देय होगा जमा करानी होगी। यदि जमा कराने के अन्तिम दिन राजकीय अवकाश हो तो उसके आगामी कार्य दिवस में जमा करानी होगी। उक्त राशि जमा न होने पर नीलामी निरस्त

कर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी। उच्चतम बोलीदाता द्वारा 72 घण्टे में 10 प्रतिशत राशि जमा कराने के उपरान्त नीलामी स्वीकृति हेतु मुख्यालय प्रेषित की जावेगी। राजस्थान आवासन मण्डल मुख्यालय को बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार होगा। 3. माँग पत्र में स्वीकृत बिड की शेष 90 प्रतिशत राशि के साथ मण्डल नियमानुसार अन्य देय राशियां लीजमनी, अन्य विविध चार्ज, सेवा एवं वस्तुकर (GST) आदि की मांग की जावेगी तथा उच्चतम बोली दाता को आवंटन पत्र की माँग राशि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिवस की अवधि में जमा करानी होगी। उच्चतम बोली दाता द्वारा माँग राशि उक्त अवधि में जमा नहीं कराने की स्थिति में यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद 30 दिवस के भीतर मय प्रक्रिया शुल्क जमा करवाकर समयावृद्धि हेतु आवेदन किया जाता है तो बकाया माँग राशि पर निर्धारित अन्तिम तिथि से 30 दिवस का 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज एवं यदि 30 दिवस पश्चात 31 से 60 दिवस के दौरान आवेदन करता है तो 60 दिवस का ब्याज 12 प्रतिशत वार्षिक दर से वसूल करते हुए सम्बन्धित उप आवासन आयुक्त द्वारा बोली को नियमित किया जा सकेगा। बकाया माँग राशि उक्त समयावधि में ही मण्डल खाते में जमा कराना अनिवार्य होगी। समयावृद्धि अवधि 60 दिवस पश्चात मण्डल द्वारा किसी प्रकार की राशि जमा किया जाना स्वीकार्य नहीं होगा और ना ही आवेदन स्वीकार किया जावेगा तथा नीलामी में प्राप्त उच्चतम बोली को उप आवासन आयुक्त द्वारा निरस्त कर दिया जावेगा। निर्धारित अवधि में राशि जमा नही कराने की अवस्था में अमानत राशि सहित सभी जमा राशियां जब्त करते हुए सम्बन्धित प्रस्ताव को निरस्त कर दिया जावेगा। 4. नीलामी से संबधिंत समस्त राशि नकद रूप में प्राप्त न की जाकर पे-आर्डर अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिये प्राप्त की जावेगी। 5. खुली बोली न्यूनतम 1000/- रूपये के गुणक में स्वीकार होगी परन्तु यह शर्त मोहरबन्द निविदा पर लागू नही होगी। 6. नीलामी समिति का अधिकार होगा कि स्वच्छ व प्रतियोगी बोली प्राप्त नही होने पर वह किसी भी समय बोली कार्य को स्थगित/निरस्त कर सकेगी। खुली बोली में न्यूनतम तीन बोलीदाता अवश्य होने चाहिये अन्यथा बोली स्थगित कर दी जावेगी। 7. फर्म द्वारा नीलामी : यदि किसी कम्पनी अथवा फर्म के नाम से बोली लगाई जाती है तो बोली प्रारम्भ होने से पूर्व ऐसी कम्पनी अथवा फर्म के रजिस्ट्रेशन संबधी दस्तावेज एंव बोली लगाने वाले अधिकृत व्यक्ति के पक्ष में फर्म/कम्पनी द्वारा पारित प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 8. **लीज अवधि एंव लीज राशि :** भूखण्ड वार्षिक शहरी जमाबन्दी (लीज होल्ड) पर विक्रय किया जावेगा। लीज की अवधि 99 वर्ष की होगी। इस अवधि के बाद मण्डल की सहमति से लीज अवधि 99 वर्ष के बाद बढ़ाई जा सकेगी। व्यावसायिक भूखण्ड अथवा सम्पत्ति पर लीज कुल क्षेत्रफल की 5 प्रतिशत की दर से व्यावसायिक भूखण्ड पर प्रथम पांच वर्ष तक वार्षिक लीज राशि आधी दर से देय होगी। आवंटन पत्र जारी होने के 30 दिवस में अथवा नया वर्ष शुरू होने से 30 दिवस में पूर्व में वार्षिक लीज राशि की सात गुना (पूर्व में जमा एक वर्ष की लीज के अतिरिक्त) राशि एक मुश्त लीज राशि के रूप में जमा करायी जा सकती है। 9. व्यावसायिक भूखण्ड "जहां है जैसा है" के आधार पर विक्रय किया जावेगा। भूखण्ड पर यदि किसी प्रकार की बिजली/पानी की लाईन/पोल इत्यादि लगा हुआ है तो उसकी जानकारी राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा दी जायेगी। उसके हटाने का खर्चा स्वंय क्रेता वहन करेगा। इस बाबत् कोई शर्त मण्डल को स्वीकार्य नही होगी। 10. **भूखण्ड का पंजीयन :-** विक्रय किये गये भूखण्ड की लीज डीड सम्बन्धित क्रेता द्वारा विक्रय राशि जमा कराने के पश्चात् क्रेता द्वारा स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन व्यय वहन कर पंजीयन हेतु आवेदन करने पर उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता कार्यालय द्वारा संबधिंत केता के पक्ष में 30 दिवस में करवाना अनिवार्य होगी। 11. **भूखण्ड पर निर्माण : -** क्रय किये गये भूखण्ड लीज डीड जारी होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि में निर्माण कराया जाना आवाश्यक होगा। तीन वर्ष की अवधि में निर्माण कार्य नही करवाने पर नियमानुसार शास्ति जमा कराने के पश्चात् आगामी दो वर्ष में निर्माण कार्य करवाना अनिवार्य होगा। अर्थात यदि भूखण्ड क्रय करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि में पूरा निर्माण नही किया जाता है तो भूखण्ड का आंवटन निरस्त माना जावेगा एवं राजस्थान आवासन मण्डल उस भूखण्ड को भार मुक्त मानते हुये कब्जा ले सकेगा एवं आवंटी अथवा बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई राशि राजस्थान आवासन मण्डल के हक में जब्त की जा सकेगी एवं बोलीदाता को इसके लिये किसी प्रकार का मुआवजा देय नही होगा। निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही कराना होगा तथा शहरी निकाय के प्रचलित भवन निर्माण विधियों के मान दण्डों का ध्यान रखा जायेगा। निरस्तीकरण एवं भूखण्ड जब्ती की अपील राज्य सरकार के पास की जा सकेगी। राज्य सरकार के निर्णय की राजस्थान आवासन मण्डल पर बाध्यता होगी। 12. स्थानीय प्राधिकरण के बिल्डिंग बाईलॉज अपनाते हुए और सम्बंधित प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद ही निर्माण कार्य करवाना होगा। 13. नीलामी के बोलीदाता के साथ केवल एक व्यक्ति को प्रवेश दिया जावेगा। 14. अन्य शर्तें प्रपत्रानुसार एवं मण्डल नियमानुसार मान्य होंगी। 15. लीज राशि व एकमुश्त लीज राशि पर नियमानुसार सेवा एवं वस्तुकर (GST) देय होगा। 16. अधिक जानकारी के लिए सम्बंधित आवासीय अभियंता के कार्यालय में सम्पर्क करें। मानचित्र हेतु जानकारी मण्डल की Website : www.rhbonline.rajasthan.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।

सम्पर्क सूत्र

<table>
<tr><td rowspan="2">उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल
सैक्टर-05, टोंक रोड, प्रताप नगर,
सांगानेर, जयपुर
फोनः 0141-2791320,
फैक्स 0141-2793429</td><td>आवासीय अभियन्ता, खण्ड - तृतीय,
हल्दीघाटी मार्ग गेट के पास, सेक्टर-08,
प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर
फोनः 0141-2791198</td><td>आवासीय अभियंता, खण्ड-चतुर्थ
राजस्थान आवासन मण्डल
34/43, सेक्टर-03, प्रताप नगर,
सांगानेर, जयपुर
फोनः 0141-2792600</td></tr>
<tr><td>आवासीय अभियंता, खण्ड-पंचम्
राजस्थान आवासन मण्डल
सेक्टर-29, प्रताप नगर,
सांगानेर, जयपुर
फोनः 0141-2973848</td><td>आवासीय अभियंता, खण्ड-बारह
राजस्थान आवासन मण्डल
110/ए/13, प्रताप नगर,
सांगानेर, जयपुर
फोनः 0141-2790270</td></tr>
</table>

SITE PLAN OF COMMERCIAL PLOT NO. 175/S-7 SECTOR17

PRATAP NAGAR SCHEME SANGANER, JAIPUR

AREA:- 105.00 SQ.M

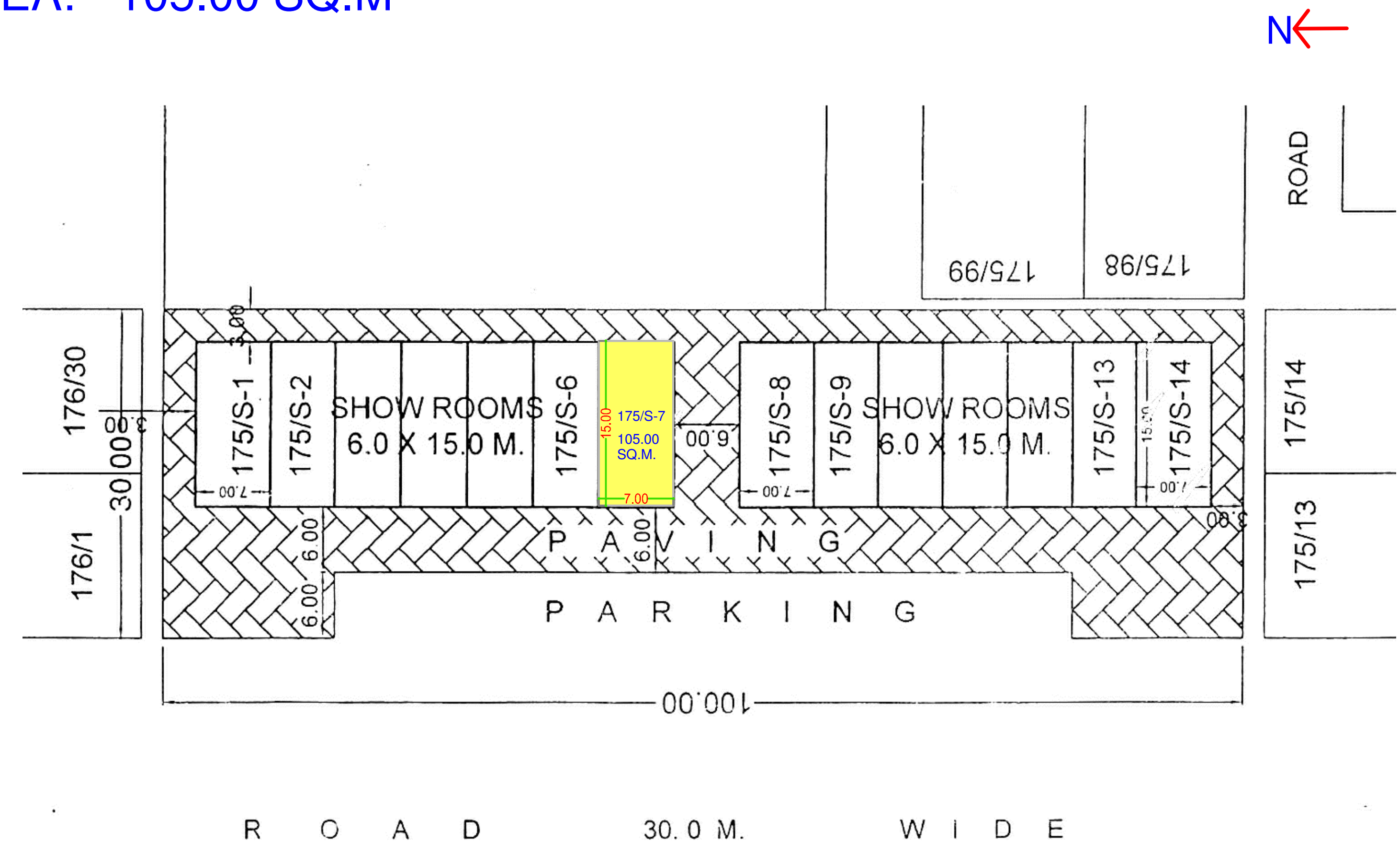

SITE PLAN OF COMMERCIAL PLOT NO. 175/S-14 SECTOR17
PRATAP NAGAR SCHEME SANGANER, JAIPUR

AREA:- 105.00 SQ.M

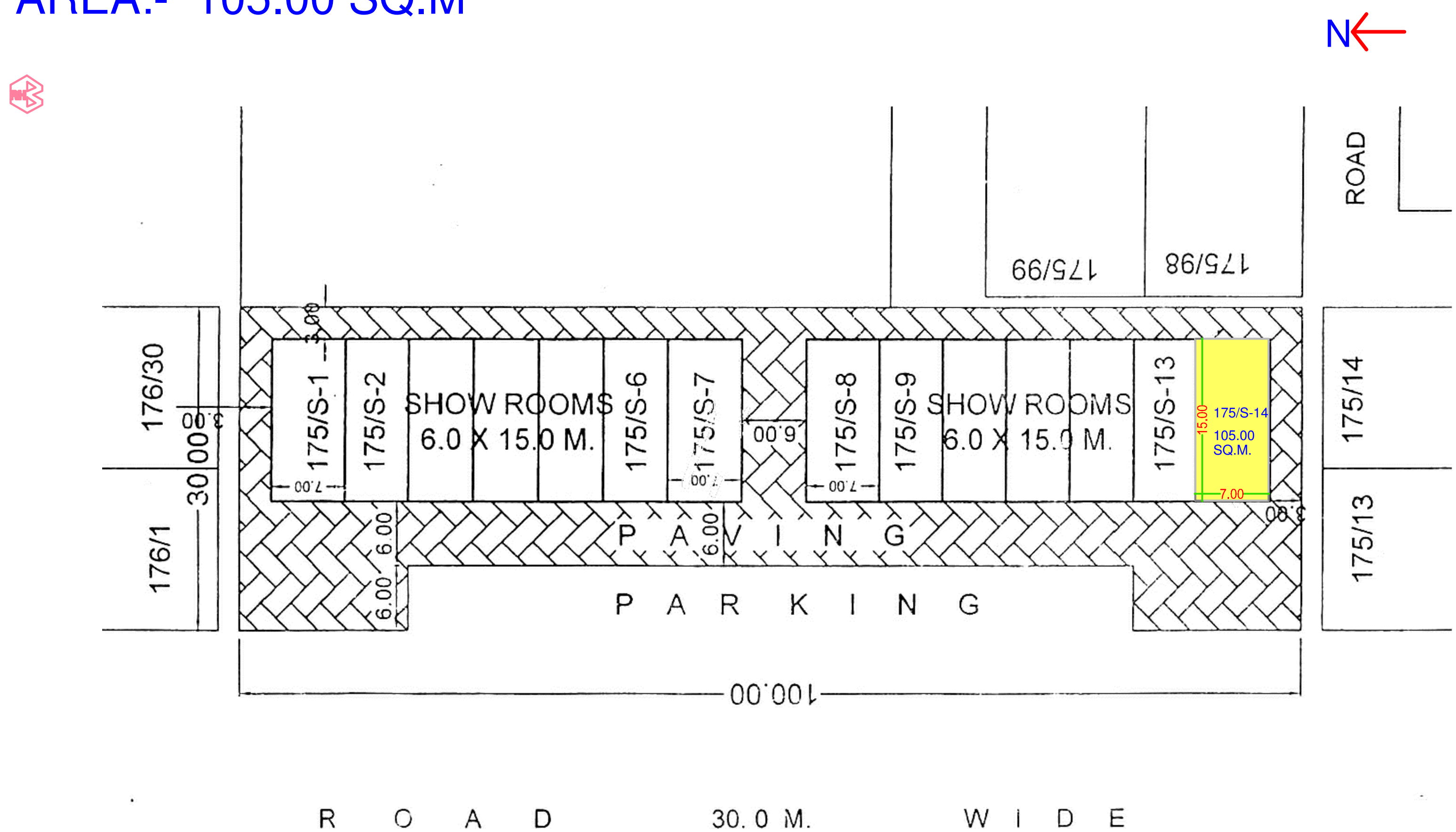

SITE PLAN OF COMMERCIAL PLOT SECTOR-5
PRATAP NAGAR,JAIPUR

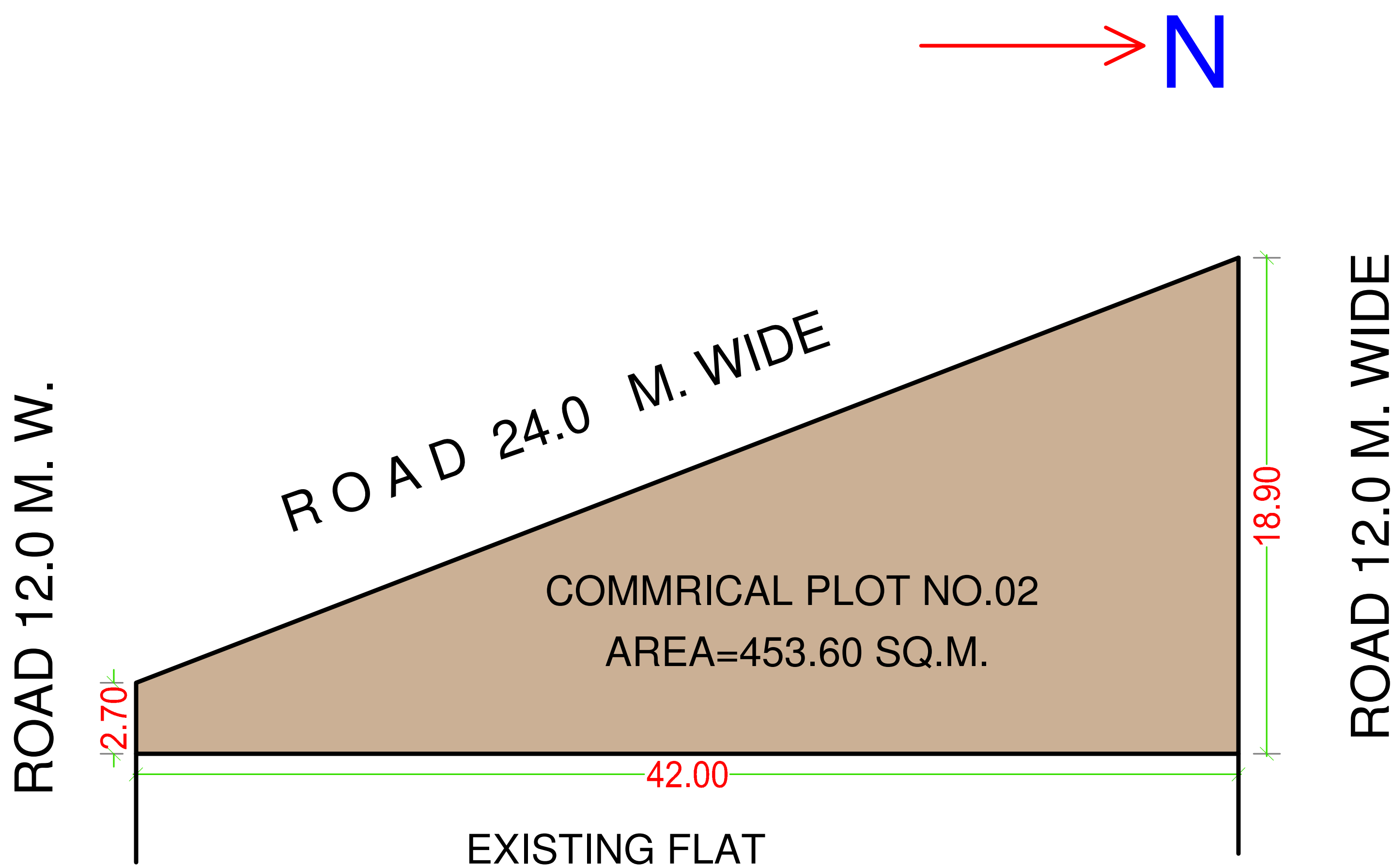

SITE PLAN OF COMMERCIAL PLOT SECTOR-5
PRATAP NAGAR,JAIPUR

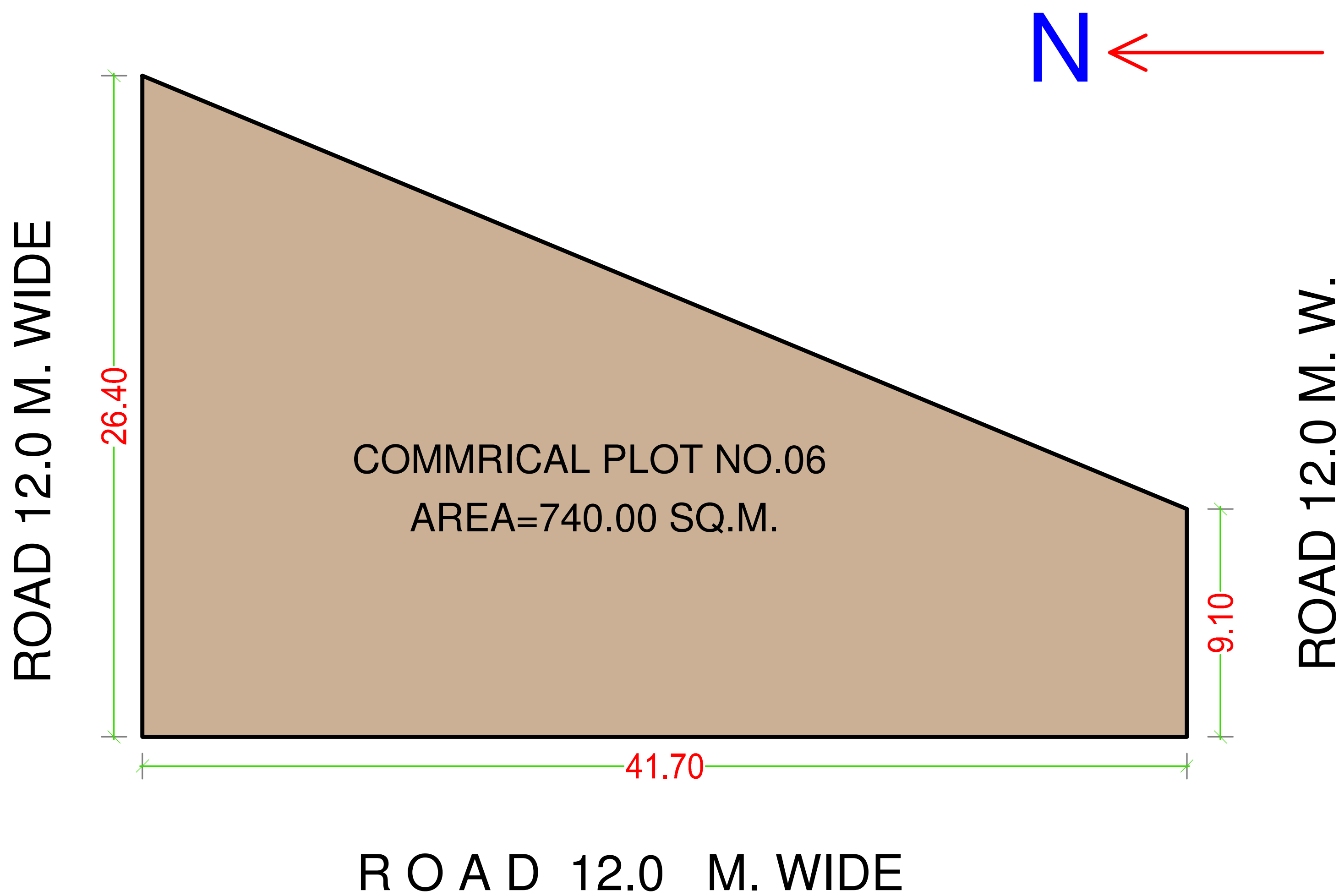

SITE PLAN OF PLOT No.100/SP-05 IN

SECTOR-10 PRATAP NAGAR SCHEME SANGANER, JAIPUR

AREA:- 162.00 SQM

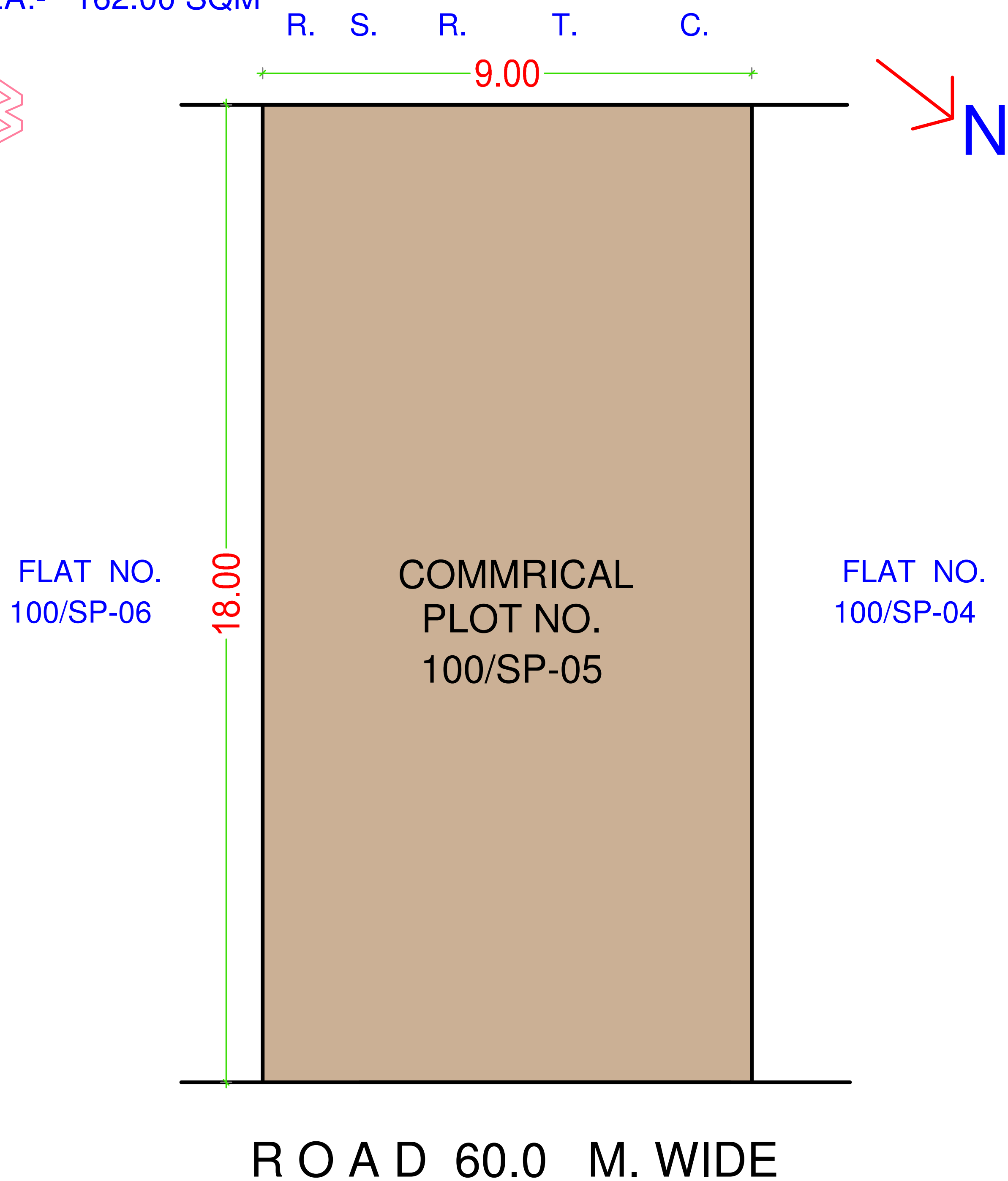

SITE PLAN OF COMMERCIAL PLOT SECTOR-18
PRATAP NAGAR,JAIPUR

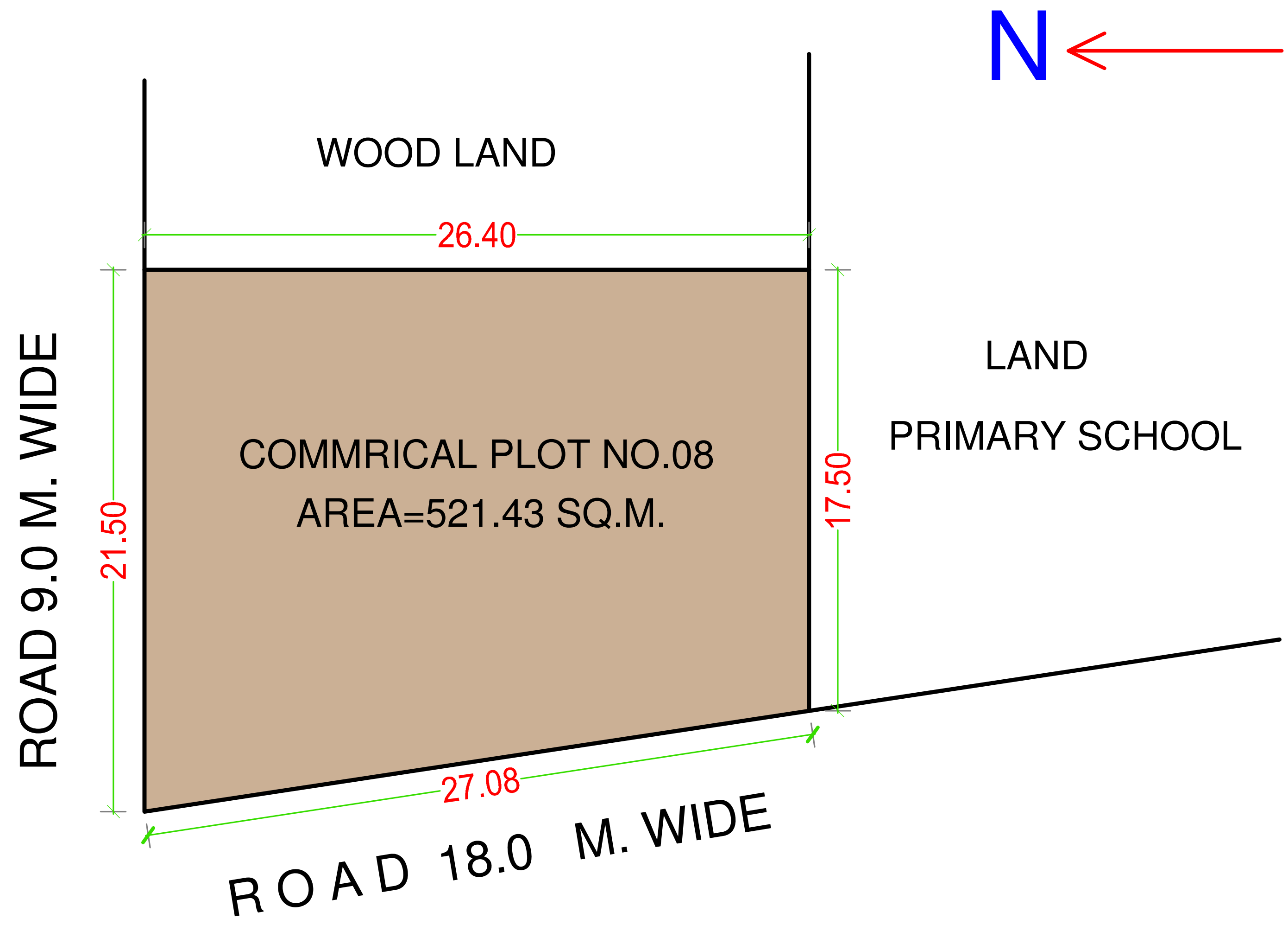

SITE PLAN OF PLOT No.100/SP-06 IN

SECTOR-10 PRATAP NAGAR SCHEME SANGANER, JAIPUR

AREA:- 162.00 SQM

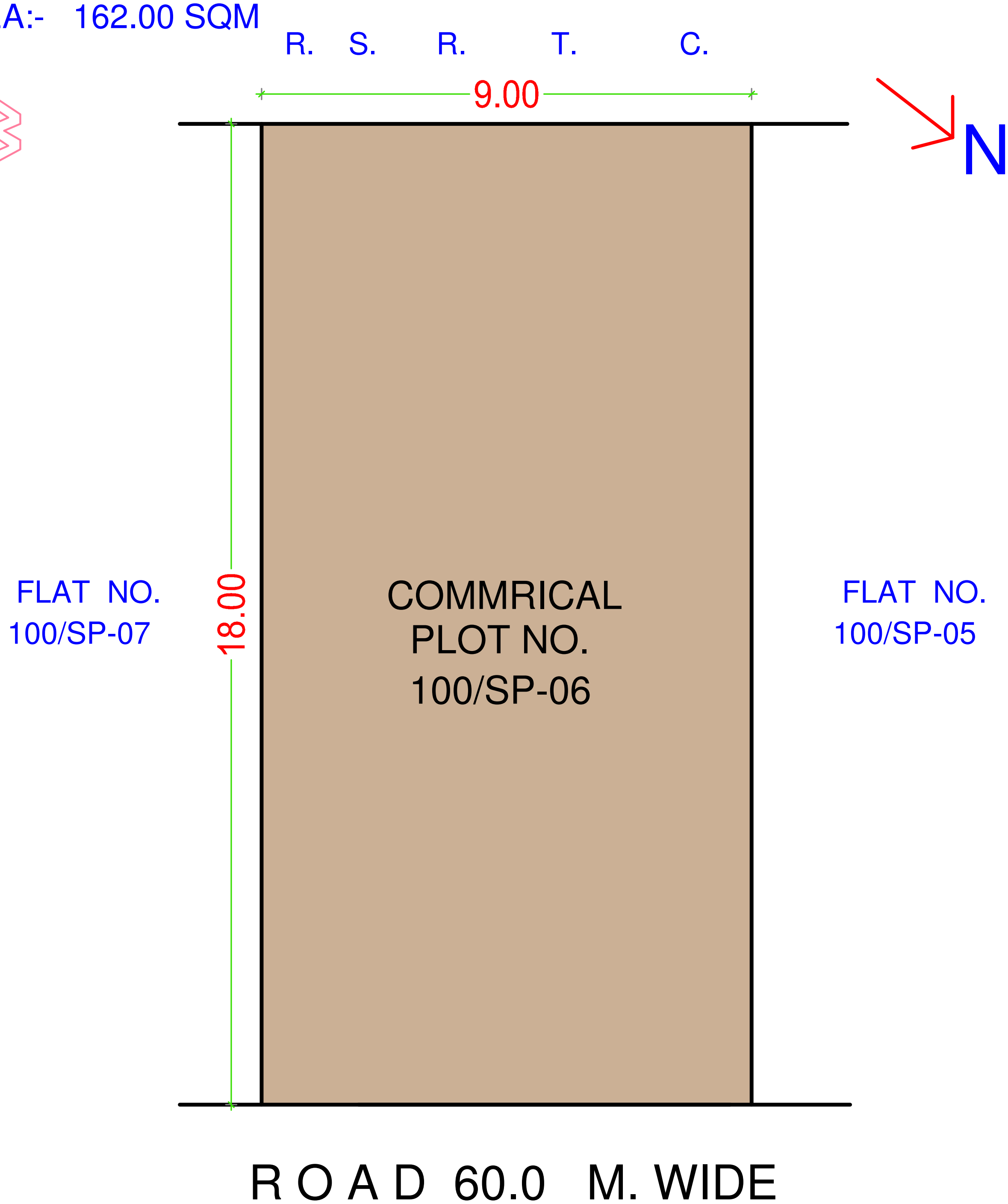

SITE PLAN OF PLOT No.100/SP-07 IN
SECTOR-10 PRATAP NAGAR SCHEME SANGANER, JAIPUR

AREA:- 162.00 SQM

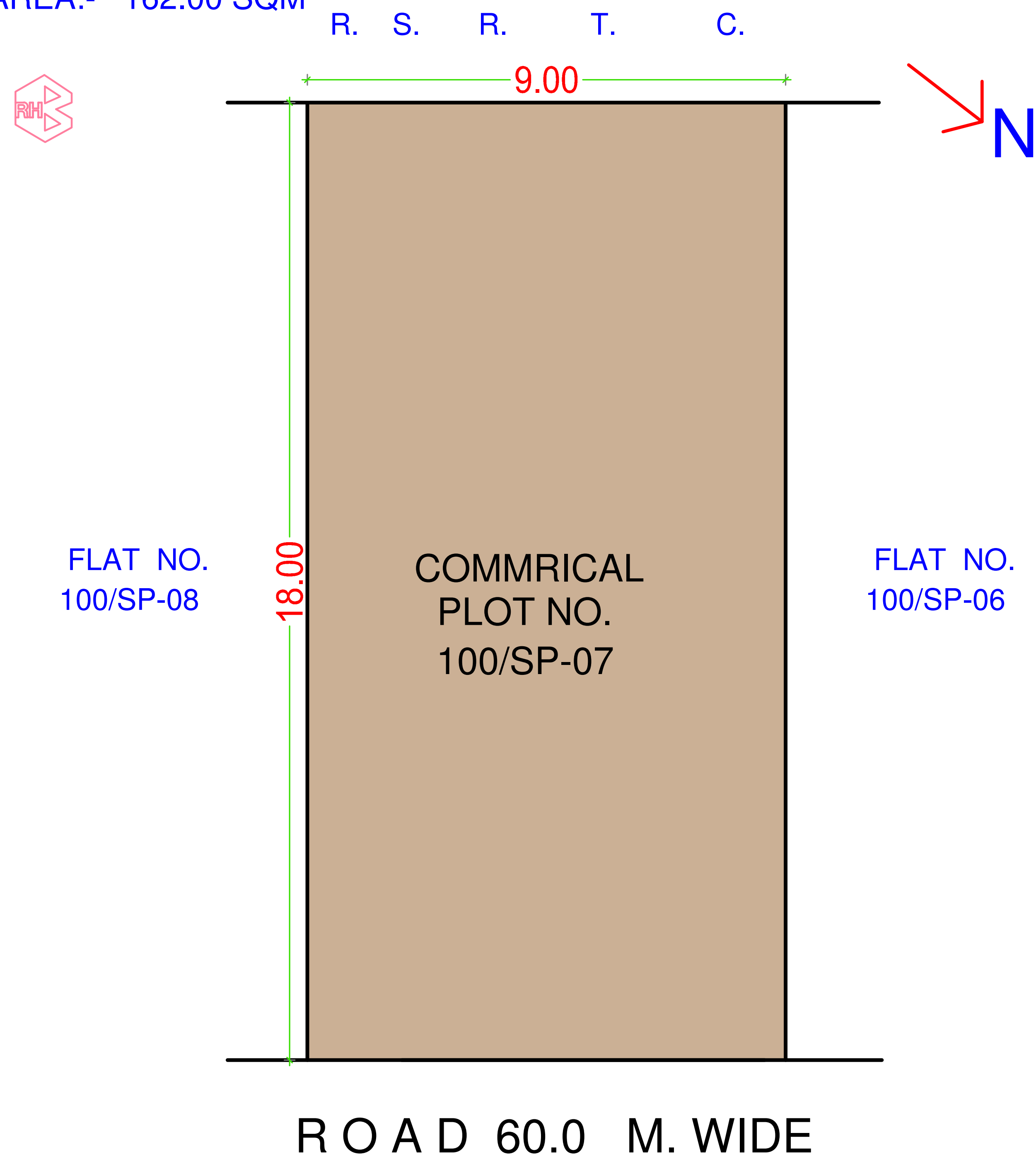

SITE PLAN OF PLOT No.100/SP-08 IN

SECTOR-10 PRATAP NAGAR SCHEME SANGANER, JAIPUR

AREA:- 162.00 SQM

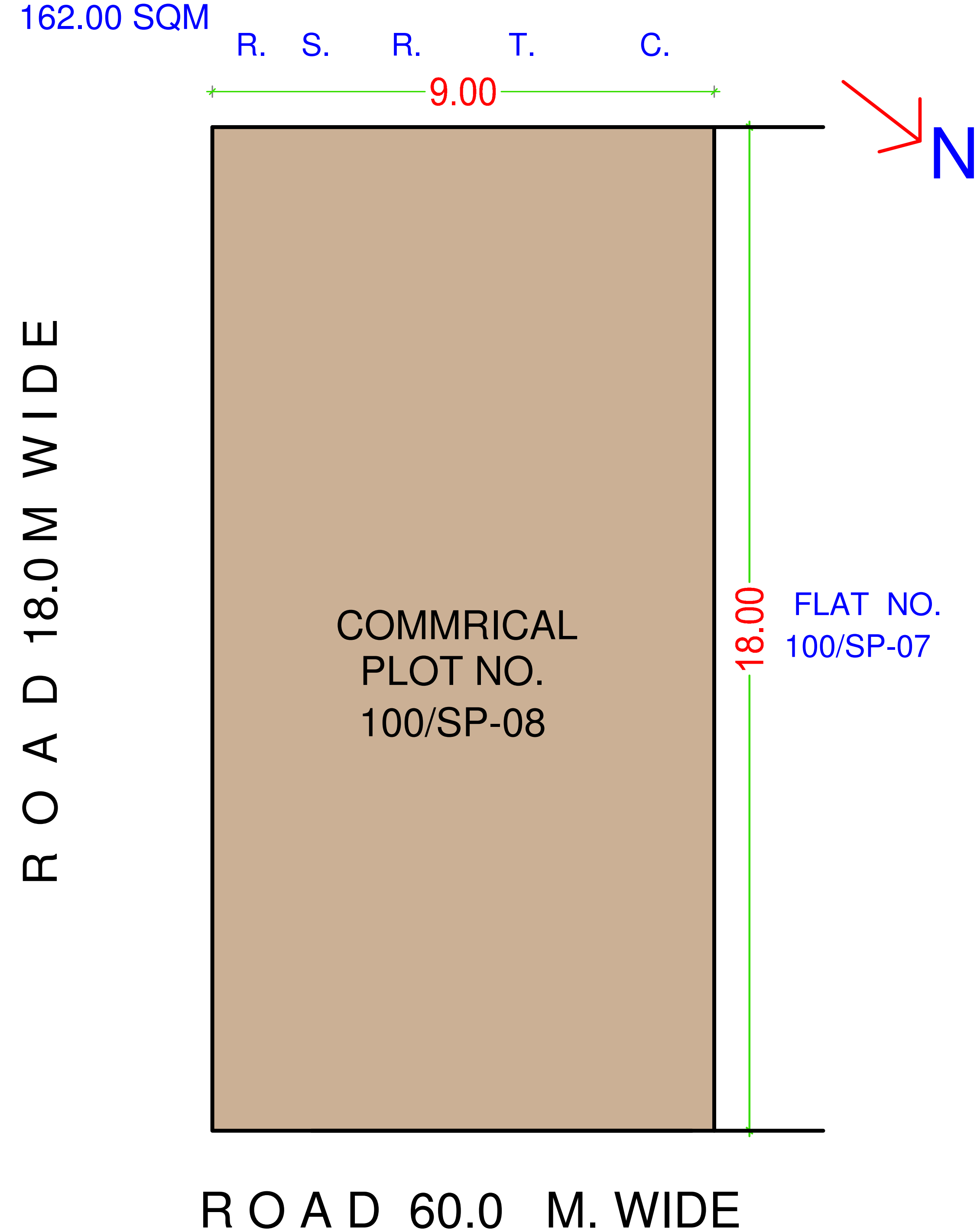

SITE PLAN OF COMMERCIAL PLOT No. 100/SP-69 IN
SECTOR-10 PRATAP NAGAR SCHEME SANGANER, JAIPUR

AREA:- 112.50 SQM

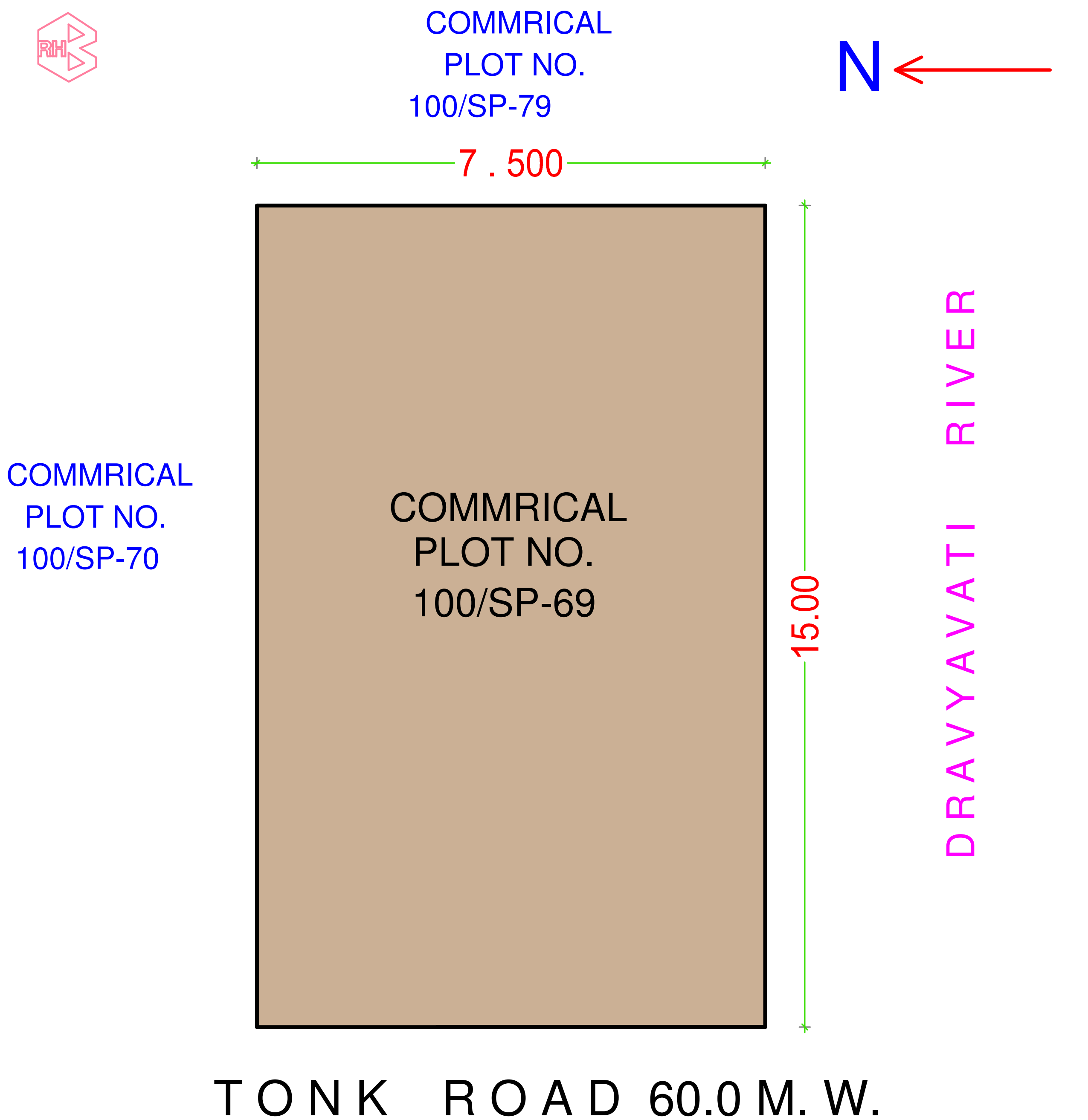

RAJASTHAN HOUSING BORAD CIRCLE - I SANGANER ,JAIPUR

SITE PLAN OF COMMERCIAL PLOT NO.80/A ON TONK ROAD PRATAP NAGAR SCHEME SANGANER , JAIPUR

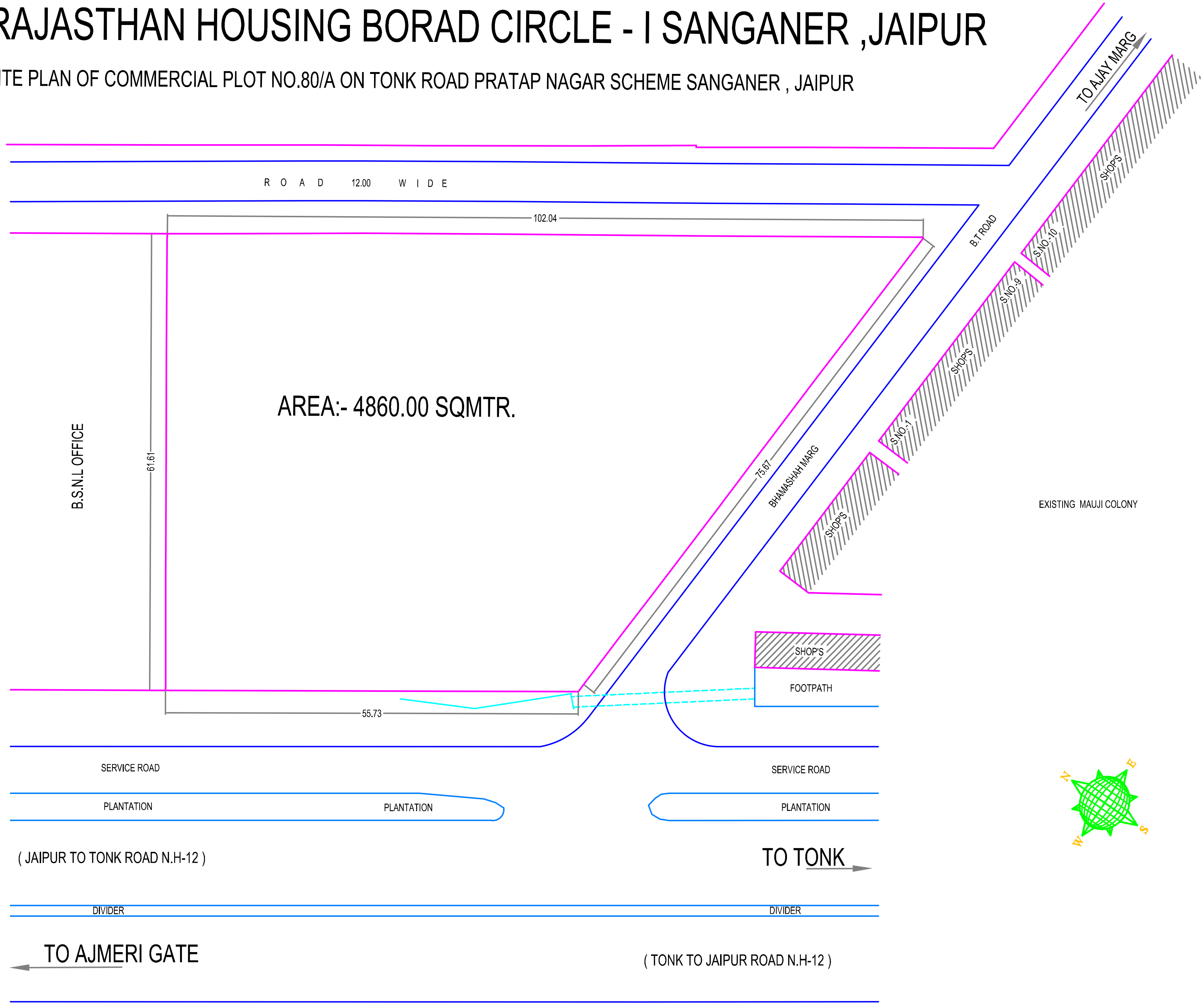

RAJASTHAN HOUSING BORAD CIRCLE - I SANGANER ,JAIPUR

SITE PLAN OF COMMERCIAL PLOT NO.232/C/F-1 SECTOR-23 PRATAP NAGAR SCHEME SANGANER , JAIPUR

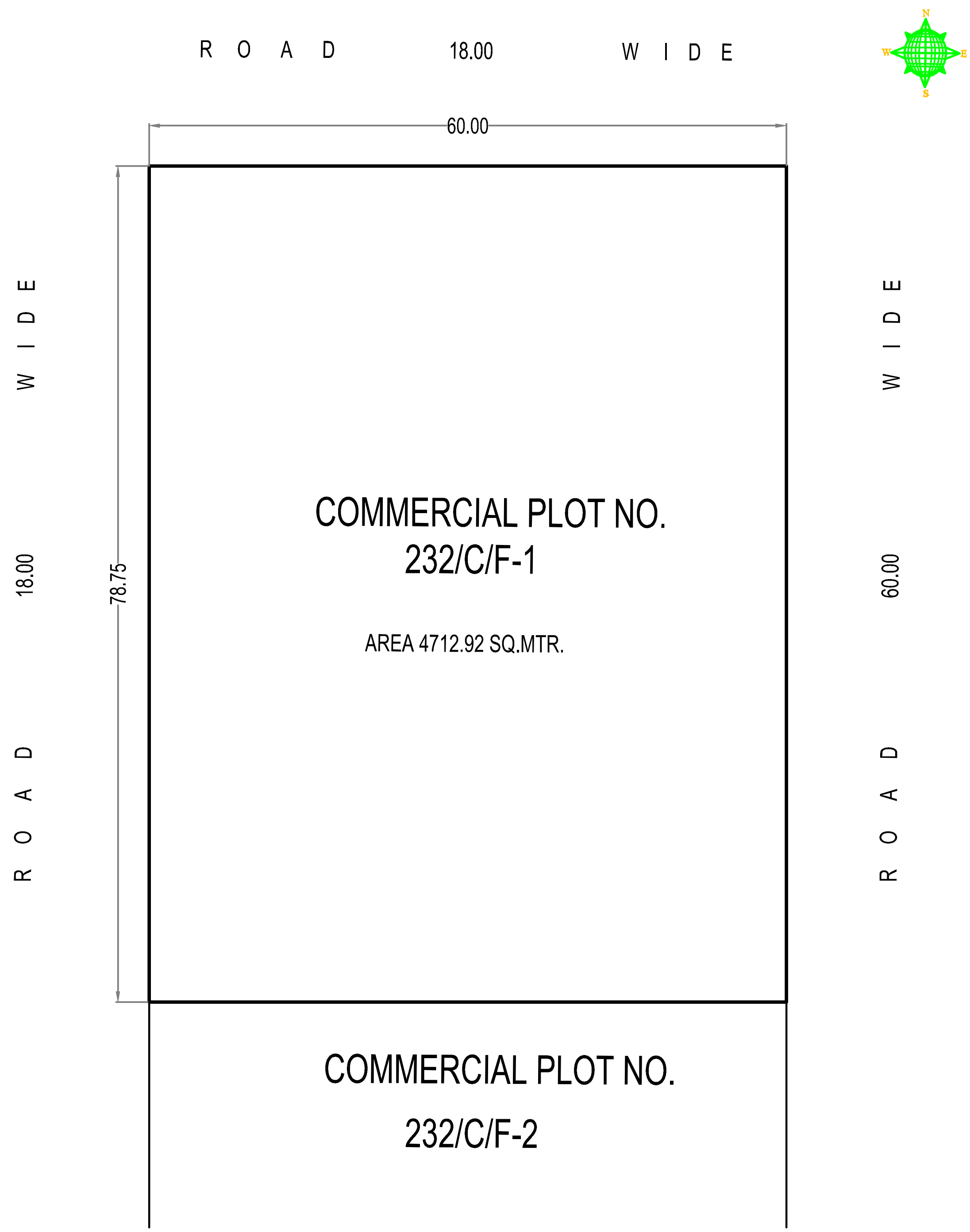

RAJASTHAN HOUSING BORAD CIRCLE - I SANGANER ,JAIPUR

SITE PLAN OF COMMERCIAL PLOT NO.232/C/F-2 SECTOR-23 PRATAP NAGAR SCHEME SANGANER , JAIPUR

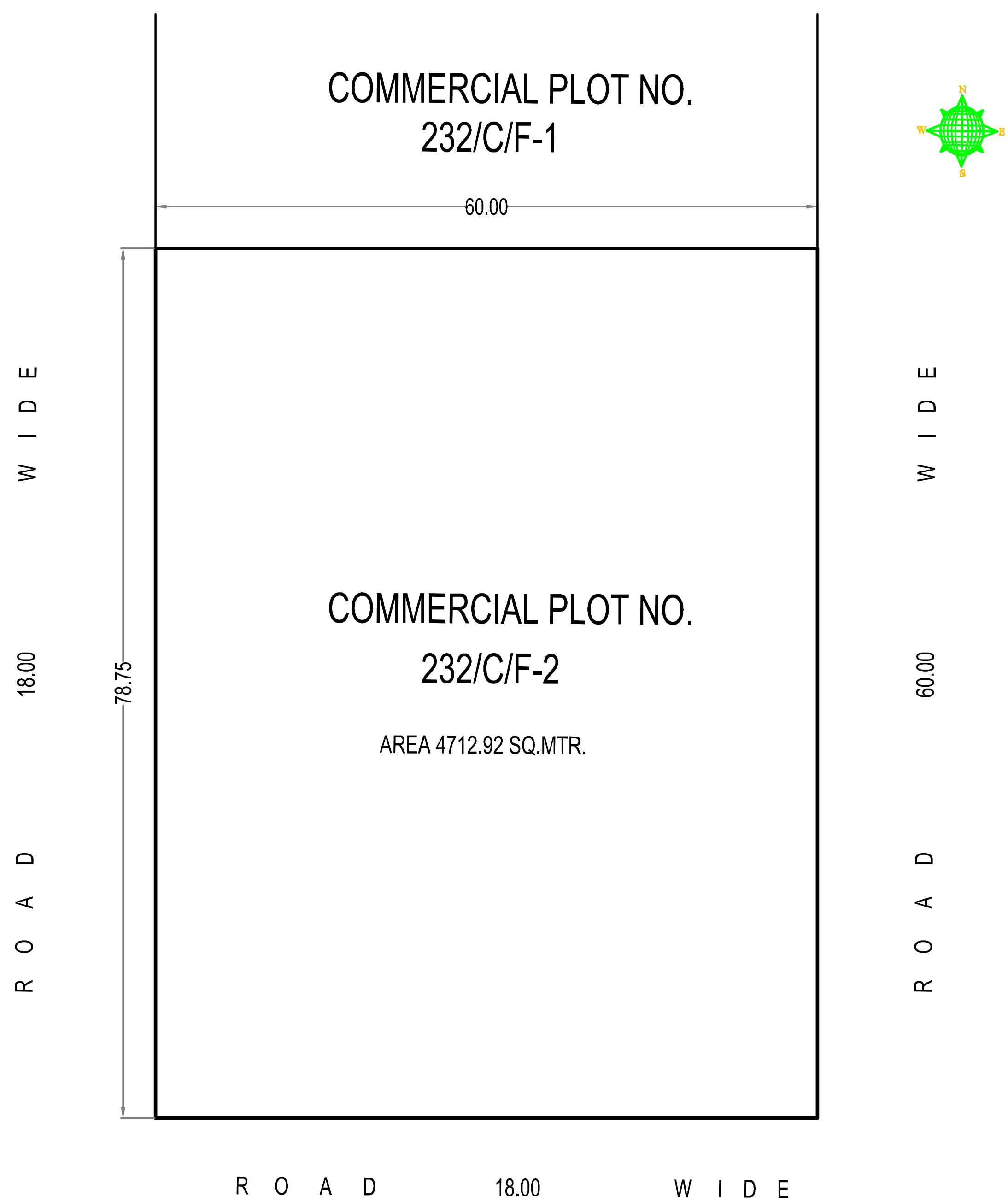

SITE PLAN OF PLOT FOR PETROL PUMP IN SECTOR 25

PRATAP NAGAR SCHEME SANGANER, JAIPUR

AREA:- 2258.370 SQM

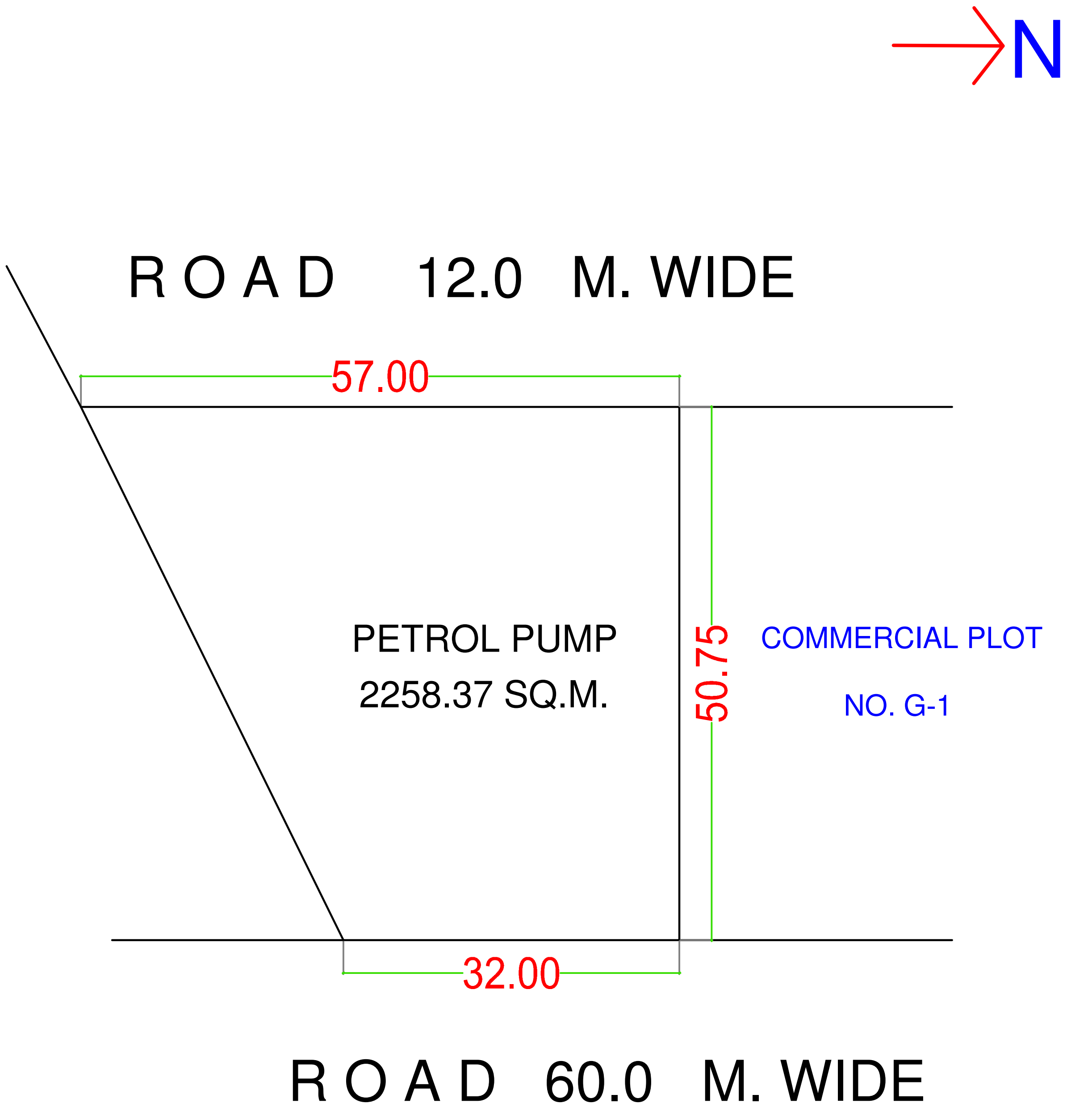

RAJASTHAN HOUSING BOARD

PRATAP NAGAR SCHEME, SANGANER JAIPUR

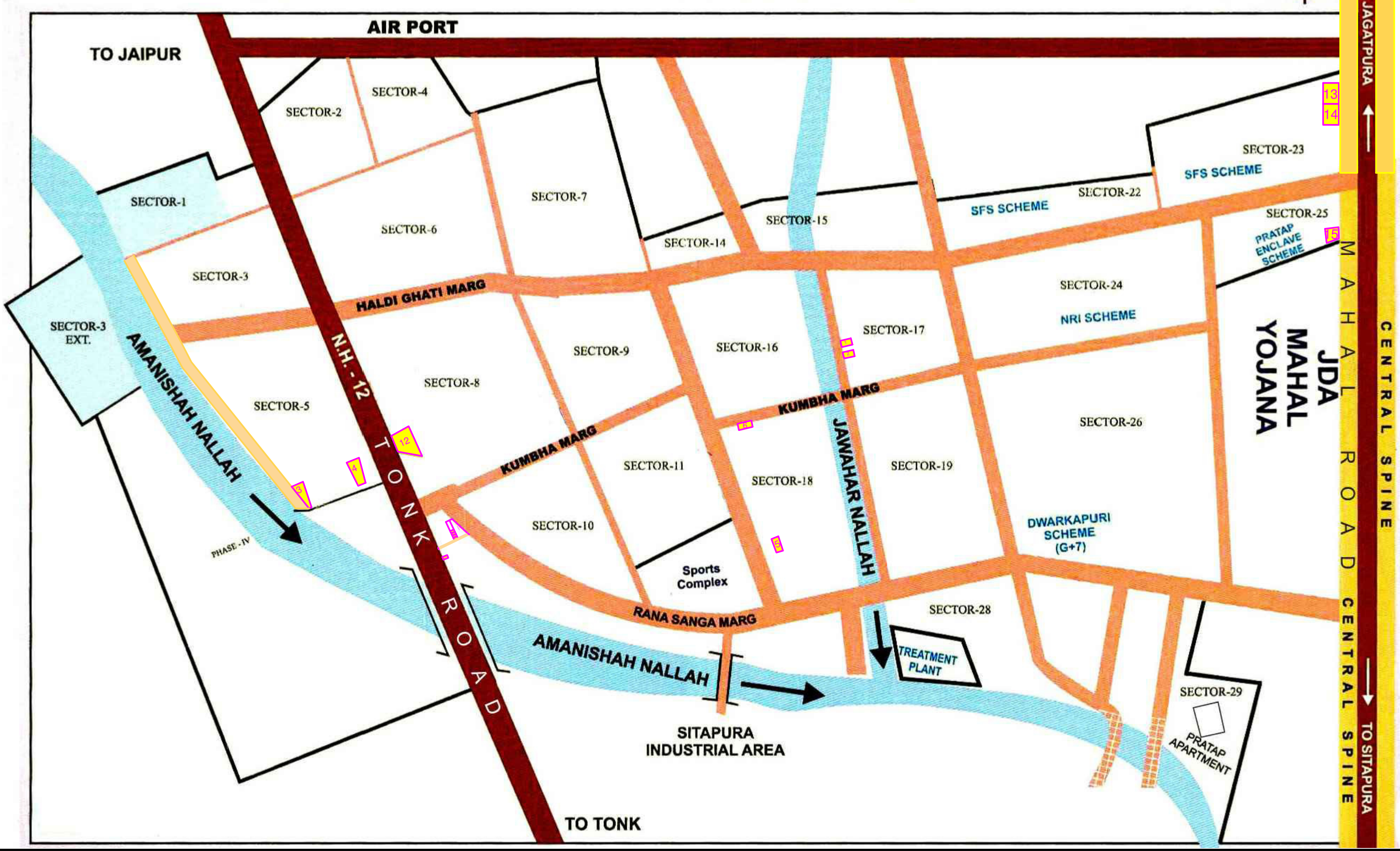

COMMERCIAL PLOTS FOR OPEN AUCTION ON 21-2-2018			
1. 175/S-7	COMMERCIAL PLOT	SECTOR -17	105.00 SQ.M.
2. 175/S-14	COMMERCIAL PLOT	SECTOR -17	105.00 SQ.M.
3. P.NO. 2	COMMERCIAL PLOT	SECTOR -5	453.60 SQ.M.
4. P.NO. 6	COMMERCIAL PLOT	SECTOR -5	740.00 SQ.M.
5. P.NO. 8	COMMERCIAL PLOT	SECTOR -18	521.43 SQ.M.
6. P.NO. 9	COMMERCIAL PLOT	SECTOR -18	1247.85 SQ.M.
7. 100/SP-5	COMMERCIAL PLOT	SECTOR -10	162.00 SQ.M.
8. 100/SP-6	COMMERCIAL PLOT	SECTOR -10	162.00 SQ.M.

9. 100/SP-7	COMMERCIAL PLOT	SECTOR -10	162.00 SQ.M.
10. 100/SP-8	COMMERCIAL PLOT	SECTOR -10	162.00 SQ.M.
11. 100/SP-69	COMMERCIAL PLOT	SECTOR 10	112.50 SQ.M.
12. 80/A	COMMERCIAL PLOT	SECTOR -8	4860.00 SQ.M.
13. 232/C/F-1	COMMERCIAL PLOT	SECTOR -23	4712.92 SQ.M.
14. 232/C/F-2	COMMERCIAL PLOT	SECTOR -23	4712.92 SQ.M.
14. ORDINARY	FOR PETROLPUMP	SECTOR -25	2258.37 SQ.M.

KEY-PLAN